न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- टी0ए0 18 सन 2019

पंजीयन दिनांक :- 26.07.2019

1. मोहनदास पिता शंकरदास बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
2. सत्यनारायण पिता शंकरदास बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
3. लाबू उर्फ ईश्वरदास पिता रतनदास बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
4. सीताबाई पुत्री रतनदास बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
5. गीता बाई पत्नी रतनदास बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
6. राधेश्याम पिता प्रहलाददास बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
7. घनश्याम पिता प्रहलाददास बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
8. झमकू बाई पत्नी प्रहलादराय बैरागी निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. श्यामदास पिता गणेशदास (माता गीता बाई) बैरागी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
2. सूरज देवी पुत्री गणेशदास (माता गीता बाई) पत्नी बजरंगदास बैरागी निवासी कुंतवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर
3. जगदीश दास पिता शंकरदास बैरागी निवासी नरसा खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
4. अम्बालाल पिता भंवरलाल अहीर निवासी गणेशपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
5. गोपाल पिता मगनलाल अहीर निवासी गणेशपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
6. मिट्ठुलाल पिता लालूराम अहीर निवासी गणेशपुरा तहसील छोटीसादडी जिला

प्रतापगढ
7. तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 11/2019 आदेश दिनांक 15.07.2019

उपस्थित- 1. दिनेश दायमा- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चन्दनमल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांकः-20.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षैपमें इस प्रकार है कि अपीलांटगण/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के न्यायालय में राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा-212 के तहत पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.2019 को अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटीस जारी किया गये एवं उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात ग्राम पीथलवडीखूर्द की आराजी नम्बर 78 रकबा 0.62हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 79 रकबा 1.96हैक्टेयर कृषि भूमि पक्षकारान की संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है जिसमें अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम भी अन्य 'शेयर्स के साथ संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो अनुचित व अवैध होकर निरस्त योगय है तथा इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-212 के प्रावधानो के तहत प्रकरण की सुनवाई न करके मात्र आदेशिका में ही आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्व है अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनःदोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.7.2019

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

खारिज किया जाकर प्रकरण के वैध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडही का आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा'-212 के अनुरूप होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस का मनन किया ओर पत्रावलियो का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर वाद पत्र ओर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.5.2019 को विपक्षीगण रेस्पोडेन्गण के विरूद्ध उपस्थित नहीं होने से एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर अपीलार्थी प्रार्थीगण की बहस सूनी जाकर रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना-पत्र प्रमाणित होना नही मानते हुये निरस्त किये जानेका निर्णय व आदेश पारित किया है उक्त निर्णय व आदेश विधि सम्मत होकर अपीलांर्थीगण प्राथीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपवखण्ड अधिकारी छोटीसादडी का प्रकरण संख्या 11/2019 आदेश दिनांक 15.7.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगांवत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ